

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 7 मई 2026 — वैशाख 17, शक 1948

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 मई 2026

अधिसूचना

F.No. RULE/247/2025-GAD-7-Part(1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ एन्टी करप्शन ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :-

1. अनुसूची— एक के सरल क्रमांक 02 के कॉलम (3) में, अंक '01' के स्थान पर, अंक '02' प्रतिस्थापित किया जाये।
2. अनुसूची— एक के सरल क्रमांक 16 के कॉलम (3) में, अंक '04' के स्थान पर, अंक '05' प्रतिस्थापित किया जाये।
3. अनुसूची— एक के सरल क्रमांक 19 के कॉलम (3) में, अंक '06' के स्थान पर, अंक '10' प्रतिस्थापित किया जाये।
4. अनुसूची— एक के सरल क्रमांक 20 के कॉलम (3) में, अंक '12' के स्थान पर, अंक '18' प्रतिस्थापित किया जाये।
5. अनुसूची— एक के सरल क्रमांक 26 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
"27.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	लेवल-13"

6. अनुसूची— दो के सरल क्रमांक 26 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाता है, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"27.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	1	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	— "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 मई 2026

F.No. RULE/247/2025-GAD-7-Part(1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-05-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 6th May 2026

NOTIFICATION

F.No. RULE/247/2025-GAD-7-Part(1).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Anti-Corruption Bureau Services Recruitment Rules, 2014, namely:-

AMENDMENT

In schedule of the said rules,-

1. In Column (3) of serial number 02 of Schedule-I, for the figure "01", the figure "02" shall be substituted.
2. In Column (3) of serial number 16 of Schedule-I, for the figure "04", the figure "05" shall be substituted.
3. In Column (3) of serial number 19 of Schedule-I, for the figure "06", the figure "10" shall be substituted.
4. In Column (3) of serial number 20 of Schedule-I, for the figure "12", the figure "18" shall be substituted.
5. After serial number 26 and entries relating thereto of Schedule-I, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"27.	Additional Superintendent of Police	1	State Government	Class-I	Level-13"

6. After Serial number 26 and entries thereto of Schedule-II, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"27.	Additional Superintendent of Police	1	-	-	100% Home (Police) Department	- "

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.